

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

Kolhan Title (Partition) Suit No.- 59/2022-23

पुरुषोत्तम सामाड।

बनाम

धनसिंह सामाड।

आदेश

यह वाद दिनांक- 08.08.2012 को श्री पुरुषोत्तम सामाड, पिता-स्व० नारु सामाड, ग्राम-बड़ादोर, पोस्ट- बड़ागुईरा, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा वाद पत्र में वर्णित भूमि विवरणी का बंटवारा Schedule- A में उल्लेखित वंशावली के अनुसार करने हेतु प्रतिवादी धनसिंह सामाड, पिता- स्व० नारु सामाड, ग्राम-बड़ादोर, पोस्ट- बड़ागुईरा, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध दायर किया गया है। इस वाद में वादी या प्रतिवादी तथा उनके विद्ववान अधिवक्ता कई तिथियों से अनुपस्थित रहने के कारण प्रतीत होता है कि वादी एवं प्रतिवादी को वाद में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा